

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 25)

[1 मई, 1951]

जलियांवाला बाग में 1919 की अप्रैल के तेरहवें दिन मारे गए या घायल हुए लोगों की स्मृति कायम रखने के लिए राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण और उसके प्रबन्ध के लिए व्यवस्था करने हेतु अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “स्मारक” से जलियांवाला बाग, अमृतसर, के नाम से ज्ञात स्थल पर 1919 की अप्रैल के तेरहवें दिन मारे गए या घायल हुए लोगों की स्मृति कायम रखने के लिए जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अभिप्रेत है;

(ख) “न्यास” से स्मारक के निर्माण और प्रबन्ध के लिए न्यास अभिप्रेत है;

(ग) “न्यासी” से जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के न्यासी अभिप्रेत है।

3. न्यास के उद्देश—न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(क) अमृतसर नगर में जलियांवाला बाग स्थल पर 1919 की अप्रैल के तेरहवें दिन मारे गए या घायल हुए लोगों की स्मृति कायम रखने के लिए उक्त स्थल पर या उसके निकट उचित भवनों, संरचनाओं और उद्यानों का निर्माण करना तथा उन्हें बनाए रखना;

(ख) न्यास के प्रयोजनों के लिए भूमि, भवन और अन्य सम्पत्तियों का अर्जन करना; और

(ग) स्मारक के प्रयोजनों के लिए निधियां इकट्ठा करना और प्राप्त करना।

4. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के न्यासी—¹[(1) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के निम्नलिखित न्यासी होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रधानमंत्री—अध्यक्ष,

2* * * * *

(ग) संस्कृति का भारसाधक मंत्री,

³[(घ) लोक सभा में इस रूप में मान्यताप्राप्त विरोधी दल का नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है, वहां उस सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता,

(ङ) पंजाब राज्य का राज्यपाल,

(च) पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री, और

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विख्यात व्यक्ति।]

(2) “जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के न्यासी” के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला न्यासियों का एक निगमित निकाय होगा और उस नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा और उसे सम्पत्ति अर्जन करने और उसे धारण करने, संविदा करने तथा उन सभी कार्यों को करने की शक्ति होगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और उनसे सुसंगत हों।

⁴[5. नामनिर्देशित न्यासियों की पदावधि—धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशित न्यासी पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यासी होंगे और पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे।]

¹ 2006 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 2019 के अधिनियम सं० 39 की धारा 2 द्वारा “खंड ख” का लोप किया गया।

³ 2019 के अधिनियम सं० 39 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 2006 के अधिनियम सं० 51 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशित किसी न्यासी की पदावधि को पांच वर्ष की अवधि के अवसान से पहले समाप्त किया जा सकेगा ।]

6. न्यासियों में निहित सम्पत्ति—इस अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित सभी सम्पत्ति और निधियां और सभी अन्य सम्पत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर, जो स्मारक के प्रयोजनों के लिए इसके पश्चात् दी जाए, वसीयत में दी जाए या अन्यथा अन्तरित की जाए अथवा उक्त प्रयोजनों के लिए अर्जन की जाए, न्यासियों में निहित होंगी ।

7. प्रबन्ध-समिति को नियुक्त करने की न्यासियों की शक्ति—(1) न्यास के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के प्रयोजनों के लिए, न्यासी बैठक में पारित संकल्प द्वारा, प्रबन्ध-समिति को नियुक्त कर सकेंगे और उसे ऐसे निदेशों और मर्यादाओं के अधीन, ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य सौंप सकेंगे, जैसे ऐसे संकल्प में परिनिश्चित किए जाएं ।

(2) न्यासी प्रबन्ध-समिति के सदस्य के रूप में किन्हीं व्यक्तियों को, चाहे वे व्यक्ति न्यासी हों या न हों, नियुक्त कर सकेंगे और इस धारा के अधीन अपने द्वारा पारित किसी संकल्प में समय-समय पर परिवर्तन कर सकेंगे या उसे विखण्डित कर सकेंगे ।

²[7क. संपरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करने की शक्ति—न्यास, न्यास के संपरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा और ऐसे अन्य कारबार करेगा जो आवश्यक समझे जाएं ।]

8. न्यासियों के कार्यों की विधिमाम्यता का रिक्ति आदि के कारण प्रश्नगत न किया जाना—न्यासियों के निकाय में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही न्यासियों के किसी कार्य को अविधिमाम्य नहीं समझा जाएगा ।

³[8क. लेखा और संपरीक्षा—(1) न्यास के लेखे की संपरीक्षा भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, करेगा और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय न्यास द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और न्यास के लेखे की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में, साधारणतः वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखे की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज पेश किए जाने की मांग करने और न्यास के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(3) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित न्यास के लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार संपरीक्षा रिपोर्ट को, यथाशक्यशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।]

9. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) वह रीति जिससे स्मारक की निधियां रखी जाएंगी, जमा की जाएंगी या विनिहित की जाएंगी;

(ख) न्यासियों द्वारा धन के संदाय के लिए आदेशों के अधिप्रमाणन की रीति;

(ग) वह प्ररूप जिसमें न्यासियों द्वारा लेखे रखे जाएंगे और ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा और उनका प्रकाशन;

(घ) स्मारक का अभिन्यास, निर्माण, सुधार, अनुरक्षण और प्रबन्ध और उसकी सम्पत्तियों की देखभाल और अभिरक्षा;

(ङ) वे शर्तें जिन पर स्मारक या उसके विशिष्ट भागों तक जनता की पहुंच होगी और स्मारक की प्रसीमाओं में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के आचारण का विनियमन;

(च) न्यासियों में निहित किसी सम्पत्ति का परिरक्षण, और उस सम्पत्ति की क्षति या उसमें हस्तक्षेप का निवारण और स्मारक के किसी विशिष्ट भाग में अतिचार करने से व्यक्तियों का निवारण ।

⁴[(2क) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना

¹ 2019 के अधिनियम सं० 39 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 2006 के अधिनियम सं० 51 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

³ 2006 के अधिनियम सं० 51 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁴ 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

चाहिए तो वह नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उपधारा (2) के खण्ड (ड) और (च) के अधीन बनाए गए किसी नियम का भंग, जुमाने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

10. विनियम बनाने की न्यासियों की शक्ति—न्यासी निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी के लिए ऐसे विनियम बना सकेगे, जो इस अधिनियम से सुसंगत हों, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिससे न्यासियों की बैठकें बुलाई जाएंगी, उन बैठकों में कामकाज करने के लिए गणपूर्ति और ऐसी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) वह रीति, जिससे न्यासियों की बहुसंख्या का विनिश्चय, उस विषय को, जिसके बारे में विनिश्चय अपेक्षित है, न्यासियों में पारिचालन द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा ;

(ग) प्रबन्ध-समिति के सदस्यों की पदावधि, उनकी शक्तियां और कर्तव्य तथा वे परिस्थितियां, जिनमें, और वे शर्तें, जिनके अधीन, ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किया जा सकेगा;

(घ) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति जो न्यास के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें।

[10क. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना]—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

¹ 2006 के अधिनियम सं० 51 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

अनुसूची

(धारा 6 देखिए)

(अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यासियों में निहित स्पमत्तियां)

भाग 1—स्थावर सम्पत्तियां

1. जलियांवाला बाग, अमृतसर, के नाम से ज्ञात भू-खण्ड जिसका माप 49 कनाल 17 मरला अर्थात् $6^{37/160}$ एकड़ या इसके लगभग है।
2. दो भू-खण्ड, जिनमें से एक $49^{1/2} \times 31$ फीट या इसके लगभग है और दूसरा $35 \times$ पूर्व में $9^{1/4}$ गज तथा पश्चिम में 8 गज या इसके लगभग है और जिसका हस्तांतरण रजिस्ट्रार, अमृतसर के कार्यालय में सं० 5960 बही सं० 1, जिल्द सं० 1572, 19 से 46 तक के पृष्ठों में 20 सितम्बर, 1920 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख द्वारा स्मारक के तत्कालीन न्यासियों को किया गया था।
3. ऊपर मद 1 और मद 2 में निर्दिष्ट भू-खण्डों पर खड़े सभी भवन और अन्य संरचनाएं।

भाग 2—जंगम संपत्तियां

मद संख्या	विनिधानों का वर्णन	रकम
		रु० आ० पां
1.	मद्रास सरकार, 3% उधार, 1952, सं० डी० एच० 000034	25,000-0-0
2.	मद्रास सरकार, 3% उधार, 1952 सं० डी० एच० 000035	25,000-0-0
3.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, अमृतसर में नियतकालिक जमा	1,10,000-0-0
4.	14 नवम्बर, 1950 तक मद 3 पर प्रोद्भूत ब्याज	2,750-0-0
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, अमृतसर के चालू खाते में	6,586-1-1
6.	उत्तर प्रदेश सरकार, उधार, 1960, पंजाब नेशनल बैंक, अमृतसर, के माध्यम से खरीदा हुआ।	49,675-1-4
मद संख्या	विनिधानों का वर्णन	रकम
7.	पंजाब नेशनल बैंक, अमृतसर, में विविध खाते में जमा रकम	4,700-12-8
8.	पावती सं० 00518 के अधीन बैंक आफ नागपुर, लिमिटेड, वर्धा, में नियतकालिक जमा	1,13,270-5-6
9.	ऊपर मद 8 पर ब्याज	3,681-4-0
10.	पावती सं० 00519 के अधीन बैंक आफ नागपुर, लिमिटेड, वर्धा, में नियतकालिक जमा	40,336-13-0
11.	ऊपर मद 10 पर ब्याज	1,310-14-0
12.	मैसर्स बच्छराज एण्ड कं० लि० मुंबई के चालू खाते में	9,573-6-0
13.	24 नवम्बर, 1950 को हाथ-नकदी	1,872-9-9
14.	अधिक दिए गए आय-कर की वापसी के तौर पर सरकार से शोध्य धन	रकम ज्ञात नहीं।